सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 16/2018

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री हेमन्त नागर पुत्र श्री बनवारीलाल उम्र 20 वर्ष जाति नागर निवासी 35, स्कूल के पास ग्राम लक्ष्मीपुरा तह. बारां जिला बारां **(मौके पर मौजुद मालिक व विक्रेता)** मैसर्स श्री गणेश मावा सप्लायर्स दीनदयाल पार्क बारां जिला बारां।

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2–श्री बालमुकद गूजर अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 28.06.2019

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.10.2017 को मैसर्स श्री गणेश मावा सप्लायर्स दीनदयाल पार्क बारां जिला बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री हेमन्त नागर पुत्र श्री बनवारीलाल **(मौक पर मौजूद विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 08.10.2017 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए /नोटिफिकेशन /2011 /440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहा पर खाद्य पदार्थ **मावा** लगभग 20 कि0ग्रा0 मात्रा में विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **मावा** मे **मिलावटी** का शक होने पर नमूना लेने हेतु मालिक को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य वस्तु **मावा 20 कि.ग्रा0** से 01 कि0ग्रा0 एक साफ सुखे तपीले में एक समरूप कर तुलाकर के वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत श्री हेमन्त नागर पुत्र श्री बनवारीलाल को 130/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री चेतन नागर व श्री जगदीश के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य वस्तु **मावा** 1 कि0ग्रा0 को चार खाली साफ एवं सुखी कांच की शीशीयों में बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक शीशी में परीरक्षक फार्मलीन 20–20 बूदें डालकर प्रत्येक शीशी को ढंक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक शीशी पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–769 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–769 नियमानुसार चारो नमूना शिशियों पर नीचे से उपर तक गोलाई में फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री हेमन्त नागर पुत्र श्री बनवारीलाल ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/273 दिनांक 01.11.2017 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 753/FSSA/Kota/Act/2017/727 दिनांक 25.10.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **मावा असुरक्षित (Unsafe)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/53 दिनांक 15.02.2018 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट से निर्माता संतुष्ट नही होने के कारण निर्माता ने कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील की थी जिस पर नमूने के द्वितीय भाग पत्रांक एफएसएस/2017/325 दिनांक 14.12.2017 द्वारा रेफरल फुड लेबोरेट्री पूणे में भिजवाया गया था एवं जिसकी जांच रिर्पोट निदेशक रेफरल फुड लेबोरेट्री पूणे का क्रमांक DO/440/17/105/2018 दिनांक 29.01.2018 द्वारा संलग्न कर दी गई के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **मावा** खाद्य

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 18.06.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत कर, प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करने हेतु अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **मावा 1 कि0ग्रा0** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी द्वारा कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ **मावा 1 कि0ग्रा0** वास्ते नमूना जॉच हेतु अप्रार्थी की दुकान से क्रय किया गया था। उक्त **मावा** अप्रार्थी द्वारा निर्मित नही किया जाता था बल्कि एजेन्सी से क्रय किया जाता था। किन्तु मेरे पास पक्का बिल नही होने के कारण एजेन्सी का पार्टी नही बनाया गया। उक्त **मावा** में मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की केमिकल इत्यादि की मिलावट नही की गई है। एजेन्सी से प्राप्त माल ही विक्रय किया गया है। अप्रार्थी गरीब व्यक्ति है, कुछ समय पूर्व ही खेती बाडी में घाटा लगने के कारण बेराजगारी की जीवन व्यतीत कर रहा था, तो अप्रार्थी को किसी ने सलाह दी कि मावे की दुकान खोल ले। अप्रार्थी द्वारा कुछ समय पूर्व ही मावे की दुकान खोली थी। जिससे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। अप्रार्थी की दुकान भी ज्यादा नही चलती है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत कार्यवाही निरस्त फरमाने की कृपा करे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **मावा** जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 के तहत, अप्रार्थी को 20,000/– रूपये अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)